

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—२ कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित ।)

बुधवार, तिथि १६ मार्च, १९७५

विषय-सूची

पृष्ठ

ध्यानाकरण सूचना पर सरकारी वक्तव्य के सम्बन्ध .. .
में चर्चा ।

विधान कार्य : अध्यादेश की अस्वीकृति के सम्बन्ध में संकल्प :

बिहार कार्यपालक मैजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियाँ) .. . २—३२
अध्यादेश, १९७५ (अस्वीकृत) ।

बिहार विधान-परिषद् द्वारा यथापारित बिहार .. . ३२—३७
कार्यपालक मैजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियाँ) विधेयक,
१९७५ के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा ।

ध्यानाकरण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :

(क) राज्य में बढ़ती हुई चोरी, डकैती एवं राहजनी से .. . ३७—३९
उत्पन्न स्थिति ।

और मुद्रण” के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७५ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १६७४ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १६७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त ७५,१५,३०५ (पचहत्तर लाख, पन्द्रह हजार, तीन सौ पाँच) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(६) राज्य उत्पादन शुल्क

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

“द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के ६ से १० पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजनाओं के लिए “राज्य उत्पादन शुल्क” के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७५ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १६७४ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १६७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त ८,०४,४५५ (आठ लाख, चार हजार, चार सौ पचपन) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(७) वाहनों पर कर कर तथा सड़क एवं जल परिवहन सेवायें

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

“द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के ११ पृष्ठ पर की अनुसूची में दी हुई योजना के लिए “वाहनों पर कर कर तथा सड़क एवं जल परिवहन सेवायें” के संबंध में ३१ मार्च, १६७५ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १६७४ तथा बिहार विनियोग (संख्या ३)